

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी :- कमर चौधरी
आई0ए0एस0

प्रार्थना पत्र सं0 21/2023

ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि0 (पूर्व ए.यू. फाईनेन्सर (इंडिया) लिमिटेड), पंजीकृत कार्यालय 19-ए, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर राजस्थान वर्तमान बैंक कार्यालय जी-18, आई.ओ.सी. पेट्रोल पम्प के पीछे, सहकार मार्ग, जयपुर जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह मीणा

...प्रार्थी/सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. राजेश राजोरिया (हीरो होण्डा सर्विस सेंटर प्रोपराईटर राजेश सैनी (बोरोवर) पता-पटवारी की कोठी, बिवाई तहसील बांदीकुई दौसा राजस्थान- 303315
2. श्री राजेश सैनी पुत्र श्री गुलाब सैनी (को बोरोवर) पता- पटवारी की कोठी, बिवाई तहसील बांदीकुई दौसा, राजस्थान 303315 अन्य पता- खसरा नंबर 1199, संकल्प नं. , पटटा नंबर 73, मिसल नंबर 21, ग्राम बिवाई ग्राम पंचायत बिवाई तहसील बांदीकुई दौसा राजस्थान।
3. रोशन लाल सैनी पुत्र श्री कालूराम सैनी (को बोरोवर) पता-पटवारी की कोठी, बिवाई तहसील बांदीकुई दौसा राजस्थान- 303315
4. गुलाब चन्द पुत्र सांवल्या (को बोरोवर) 104, पटवारी की कोठी, बास बिवाई तहसील बांदीकुई दौसा राजस्थान 303315

.....अप्रार्थीगण

प्रा0 पत्र अंतर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम- 2002 ऋणी/जमानती से बंधक संपत्ति का भौतिक कब्जा लेकर बैंक को दिलवाये जाने हेतु।

उपस्थित : श्री अभिषेक तिवाडी , अधिवक्ता प्रार्थी।

आदेश

दिनांक: 12.04.2023

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेन्सर (इंडिया) लिमिटेड द्वारा ऋणी/सह ऋणी को रूपये 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। ऋण सुविधा उपलब्ध कराते समय ऋणी द्वारा पुनः भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में परिसम्पत्ति के रूप में हाईपोथिकेशन किया गया। अप्रार्थी ऋणी/सह ऋणी को बैंक का ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अंतर्गत अप्रार्थी ऋणी को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के बावजूद रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने एवं समाचार पत्रों के माध्यम से नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि ~~भुगतान~~ भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी अपने पास बतौर जमानत रहन रखी गयी ~~संपत्ति~~ का कब्जा प्राप्त हेतु The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002 की धारा 14 के तहत निवेदन किया है।



.....निरंतर 2 पर

अधिवक्ता प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेन्स (इंडिया) लिमिटेड को सुना गया। हमने प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेन्स (इंडिया) लिमिटेड द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेन्स (इंडिया) लिमिटेड को ऋण भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं कर उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणीगण को रजिस्टर्ड नोटिस एवं समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित किये जाने के बावजूद ऋण राशि का शर्तों के मुताबिक भुगतान नहीं करने पर **The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of the security interest act.2002** की धारा 14 प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र के अनुसार बंधक रखी गई सम्पत्ति खसरा नंबर 1199, संकल्प नं. , पट्टा संख्या 73, मिसल नं. 21, ग्राम बिवाई ग्राम पंचायत बिवाई तहसील बांदीकुई जिला दौसा राजस्थान में स्थित है जो कि श्री गुलाब चन्द पुत्र सांवल्या के नाम से है जिसका कुल क्षेत्रफल 102.66 वर्गगज है, का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी ए.यू. स्मॉल फाईनेन्स बैंक लि. (पूर्व ए.यू. फाईनेन्स (इंडिया) लिमिटेड को किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो, नियमानुसार आवश्यक होने पर पर्याप्त पुलिस बल पुलिस अधीक्षक, दौसा से प्राप्त कर कब्जा प्राप्त करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार हो एवं नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 12 अप्रैल, 2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(कमर चौधरी)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर, दौसा